

समेकित कार्य योजना (IAP कलेक्टर सेक्टर) के अन्तर्गत स्वीकृत मार्ग
पिपरिया से सरिसताल मार्ग लंबाई 4.500 कि.मी. के निर्माण/उन्नतीकरण
हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव
के संबंध में

संक्षिप्त टीप

अनूपपुर जिले के अंतर्गत कोतमा आदिवासी विकासखण्ड है। इस विकासखण्ड में अधिकांश आदिवासी जनजाति के लोग निवास करते हैं। **समेकित कार्य योजना (IAP कलेक्टर सेक्टर)** के पैकेज क्रमांक MP-46-IAP-001(B/W) के अंतर्गत स्वीकृत मार्ग पिपरिया से सरिसताल मार्ग जिसकी लंबाई 4.500 कि.मी. के निर्माण/उन्नतीकरण की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति अपर मुख्य सचिव/सदस्य सचिव म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22360/22/ग्रासविप्रा/आई.ए.पी./ग्रासविप्रा/T-1/2014 भोपाल दिनांक 12.11.2014 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

उक्त मार्ग निर्माण से ग्राम सरिसताल के आदिवासी ग्रामीण जनों को आवागमन हेतु सुलभ हो सकेगा। वर्तमान में ग्राम सरिसताल कच्चे मिट्टीकृत मार्ग होने के कारण वर्षाकाल में संपर्क विहीन हो जाता है। इस मार्ग के निर्माण से ग्राम सरिसताल बारहमासी सड़क द्वारा मुख्य मार्ग से जुड़ जावेगा। बारहमासी पक्की सड़क निर्माण होने से इस ग्राम एवं क्षेत्र का विकास संभव हो सकेगा। मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि की अनुमति नितांत आवश्यक है। अतः कृपया वनक्षेत्र स्थित भाग में मार्ग निर्माण/उन्नयन की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।


महाप्रबंधक

म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई अनूपपुर